

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.प्र.— जनसंवाद —विविध— 02-02/2016:—

/राँची, दिनांक:—

आदेश

मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र से प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु एक विभागीय जाँच समिति/जाँच दल का गठन किया जाता है, जो निम्नवत है:—

- | | |
|--|----------------------|
| i) अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर | — अध्यक्ष |
| ii) कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची | — उपाध्यक्ष—सह—सदस्य |
| iii) सहायक अभियंता/अवर प्रमण्डल पदाधिकारी,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर | — सदस्य |
| iv) सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रामगढ़ | — सदस्य |
| v) कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी | — सदस्य |

2— उक्त समिति/जाँच दल मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र से प्राप्त शिकायतों, जो विभागीय प्रधान सचिव के निदेशानुसार जाँच दल को समय—समय पर उपलब्ध कराया जायगा, में वर्णित आरोपों की जाँच कर निर्धारित समयसीमा के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

3— उक्त समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन विभागीय प्रधान सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4— उक्त आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(निरंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:— 3075

/राँची, दिनांक:— 22-09-16

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची /सहायक अभियंता/अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रामगढ़/ कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी/संयुक्त सचिव —सह—नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जन संवाद/उप सचिव, प्रभारी, मुख्यमंत्री जन संवाद/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निरंजन
22/09/16

(निरंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

22/9/16